

एमुख्य नियंत्रण सुविधा MASTER CONTROL FACILITY
हासन Hassan

कार्यालय आदेश OFFICE ORDER

मुनिसुMCF:डी.डी.सी.C-5/19/2024

अप्रैल April 05th, 2024

विषय आर.टी.आई.-2005 के तहत प्रकाशित होने वाली सूचना की समीक्षा के लिए केंद्र स्तरीय सामग्री समीक्षा समिति के गठन- के बारे में

Sub: Constitution of Centre Level Content Review Committee for review of Information to be Published under RTI-2005 –Reg.

आर.टी.आई. अधिनियम-2005 के तहत समय-समय पर एम.सी.एफ वेबसाइट पर प्रकाशित होने वाली सूचना की समीक्षा के उद्देश्य से निम्नलिखित संरचना के साथ एक केंद्र स्तरीय सामग्री समीक्षा समिति का पुर्नगठन किया गया है।

A Centre Level Content Review Committee is hereby reconstituted with the following composition for the purpose for reviewing of Information to be published in the MCF website from time to time under RTI Act-2005.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. श्री डी.ई बालाजी, समूह निदेशक-सुविधाएं Shri. D E Balaji, Group Director-Facilities | अध्यक्ष Chairman |
| 2. श्री बी. कुमारस्वामी, समूह प्रधान-सी.एस.एस. Shri. B Kumarswamy, Group Head-CSS | सदस्य Member |
| 3. श्री अक्षय चौरे, प्रबंधक-सी.एस.बी. Shri. Akshay Chaure, Manager-CSB | सदस्य Member |
| 4. श्री जगन्नाथ एस.एन., उप प्रबंधक-एच.आर.डी Shri. Jagannatha S N, Dy. Manager-HRD | सदस्य Member |
| 5. प्रधान लेखा व आंवेस/का.सा.प्र. Head Accounts & IFA/PGA | सदस्य Member |
| 6. वरि. प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी-1 Sr. Administrative Officer/Administrative Officer-I | सदस्य Member |
| 7. श्री प्रदीप भूवी, तकनीकी अधिकारी-सी. Shri. Pradeep Bhovi, Tech. Officer-C | सदस्य सचिव Member Secretary |

यह समिति तीसरे पक्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और समिति के गठन के तीन माह के भीतर आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 की आवश्यकताओं के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

The Committee shall study the third party audit report and ensure compliance with the requirements of the RTI Act, 2005 within three Months from the constitution of the Committee.

इसके बाद, यह समिति आर.टी.आई अधिनियम के तहत एम.सी.एफ की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाने वाली जानकारी की सामग्री की समय-समय पर समीक्षा करेगी और आगे की विचार के लिए अपनी सिफारिश अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगी।

Thereafter, the committee shall study review periodically the content of Information to be Published in the website of MCF under RTI Act and submit its recommendation to the undersigned for further Consideration.



(पंकज दा. किल्लेदार Pankaj D Killedar)

निदेशक Director

सेवा में To:

अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव
Chairman, Member and Member Secretary

पंकज दा. किल्लेदार Pankaj D Killedar
निदेशक Director

प्रतिलिपि Cc:

स.नि./स.प्र. GDs/GHs
प्रबंधक/उप प्रबंधक Managers/Dy. Manager